प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2013-14/OG-GO/

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Orders relating DR to central Govt. employees; CPF beneficiaries and ex-gratia from 01.07.2013

Ref:- 1. Circular No Pen(Misc)/DR/1496 dt 01.01.2014 of the AG(A&E) II UP Allahabad.
2. Govt. of UP OM No PC-1-1050(2)/10-2013-42(M)/2008 dated 30.10.2013.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) II, Uttarpradesh, Allahabad in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy To

Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

Sp! seal
BM

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एंव हक.)
O/o. Prl. A.G. (A&E)
INWARD
15 JAN 2014
G.No. ....
आं प्र हैदराबाद-500 004
A.P. HYDERABAD-500 004.

Regd.

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

309784
22/1/14

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/U.P./ 1496 **Dt: 03 /01/2014**
LID-33884,37801/

To,

Accountant General (A&E), Andhra Pradesh
....Saifabad..............
................Hyderabad 500004

69497468
09/01

Subject:- (1) Payment of DR to central Government employees –Revised Rates w.e.f 01.7.2013.

(2) Grant of DR to CPF beneficiaries in receipt of ex- gratia payment w.e.f 01.07.2013

I am forwarding herewith copies of office memo. No. 1-8/2013-E-11(B) . dt. 25/09/2013and -F.No42/13/2012-P&PW(G) dt. 17/10/2013 on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

PM

SSrivastava
Accounts Officer/Pension

संख्या–वे0आ0–1–1050(2)/दस–2013–42(एम)/2008

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर, 2013

विषयः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित नही हुए है, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2013 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

(1) शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–975/दस–2005–41/04 दिनांक 22 सितम्बर, 2005।
(2) शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–72/दस–2006–31/04 दिनांक 31 जनवरी, 2006
(3) शासनादेश सं0–वे0आ0–1–475(2)/दस–2012–42(एम)/08 दिनांक 29 मई, 2013
(4) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन – संख्या–1–3/2008–संस्था–।। (बी), दिनांक 07 अक्टूबर, 2013

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–वे0आ0–1–475(2)/दस–2012–42(एम)/08, दिनांक 29 मई, 2013 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों

पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए है, को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2013 से निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2013	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 183 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3– महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

4– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्त, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

5– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णाकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णाकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2013 से दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से (माह दिसम्बर, 2013 का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2014 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

7— नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय मँहगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर—1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर—1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रुप में दी जायेगी।

8— महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश सख्या—सा—4—12/दस—97—500(1)/97, दिनांक 7—10—1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

9— जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनॉक 01 जुलाई, 2013 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 गाह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या—वे0आ0—1—1050(3)/दस—2013, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—1 एवं 2 तथा (आडिट)—1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0—261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड़, इलाहाबाद।

संख्या–वे0आ0–1–1050 / दस–2013–42(एम) / 2008

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
(2) वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) / शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 30 अक्टूबर, 2013

विषयः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01–07–2013 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित :–

(1) शासनादेश संख्या वे0आ0–1–475 / दस–2013–42(एम) / 08, दिनॉक 29 मई, 2013
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1–8 / 2013–स्था0–II (ख), दिनांक 25 सितम्बर, 2013 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वे0आ0–1–475 / दस–2013–42(एम) / 08, दिनॉक 29 मई, 2013 के कम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारको को दिनांक 01 जुलाई, 2013 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01–07–2013	मूल वेतन का 90 प्रतिशत

2– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4– महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा।

5– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्त, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2013 से दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नही निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से (माह दिसम्बर, 2013 का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2014 को देय) नकद किया जायेगा।

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

8— नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय मॅहगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर—1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर—1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी।

9— महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश सख्या—सा—4—12/दस—97—500 (1)/97, दिनांक 7—10—1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

10— जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनॉक 01 जुलाई, 2013 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या—वे0आ0—1—1050(1)/दस—2013, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—1 एवं 2 तथा (आडिट)—1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0—261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली—110001
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड़, इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3–जी0आई0–26(2) / दस–2013–301 / 2000 टी0सी0
लखनऊ : दिनाँक : 13 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं कोषाधिकारियों को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय – ज्ञाप संख्या – 42 / 13 / 2012–P&PW(G), दिनाँक 17 अक्टूबर, 2013 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स जो पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अपुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन पा रहे हैं को उक्त आदेशानुसार महँगाई राहत का भुगतान किया जाए।

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्याःसा–3–जी0आई0–26(3) / दस–2013–301 / 2000 टी0सी0, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
4– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

F. No. 42/13/2012-P&PW(G)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi - 110003
Date: 17th Oct, 2013

6979 2468
09/01

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Grant of Dearness Relief to CPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment w.e.f 01.07.2013.

In continuation of this Department's OM No. 42/13/2012-P&PW(G) dated 24th May, 2013, the President is pleased to grant the Dearness Relief at the rate of 5th CPC w.e.f. 1.7.2013 to the following :

(i) The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 to 31.12.1985 and are in receipt of ex-gratia @ Rs.600/ p.m. w.e.f. 1.11.1997 under this Department's OM No. 45/52/97-P&PW(E) dated 16.12.1997 & revised to Rs.3000, Rs.1000,Rs.750 & Rs.650 for Group A, B, C & D respectively w.e.f 4th June,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dt. 27th June, 2013 are entitled to Dearness Relief @ 183% w.e.f. 1.7.2013.

(ii) The following categories of CPF beneficiaries who are in receipt of ex-gratia payment in terms of this Department's OM No. 45/52/97-P&PW(E) dated 16.12.1997 are entitled to DR @ 175 % w.e.f. 1.7.2013.

(a) The widows and dependent children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 1.1.1986 or who had died while in service prior to 1.1.1986 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 605/- p.m. & revised to Rs 645 w.e.f 04 June ,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dated 27th June,2013.

(b) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs. 659/-, Rs. 703/- and Rs. 965/-.

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee. In their application to the Indian Audit and Accounts Department, these orders issue in consultation with the C&AG.

3. This issues with the concurrence of Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their OM No. 1(4)/EV/2004 dated 14th October, 2013.

4. Hindi version will follow.

Taneja

(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries and Departments of the Government of India.
Comptroller & Auditor General of India.
As per standard mailing list.

*Please visit this Department's website **http://pensionersportal.gov.in** for the orders on pension matters including above orders.*